अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय।

18 JUN 2013

सं०.............

बिहार, पटना

10

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

संख्या........ बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम 7, 2007) की धारा 55, सहपठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक खंड III 1978 के परिनियम 103 की कंडिका 3 में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं :--

4/5 जिला पुलिस एवं सैन्य पुलिस बहाली की प्रक्रिया :--

ड. आरक्षण :--

(क) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय--समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ख) गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1444 दिनांक 06.02.04 एवं गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-- 1511 दिनांक-- 07.02.04 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ भरी जानी है।

(ग) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम--3, 1992) (समय--समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगें।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्त्ती वर्षों तक उन रिक्तियों को अग्रणित किया जायेगा तथा तीसरे भर्त्ती वर्ष में भी सुयोग्य महिला उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में उसे उसी भर्त्ती वर्ष में गृह (आरक्षी) विभाग से आदेश प्राप्त कर संबंधित कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा।

बिहार अधिनियम-- 3/1992 की धारा 4 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/--

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञाप सं0-- 4/पी03--10--03/2013 पटना, दिनांक मई 2013

प्रतिलिपि:-- अधीक्षण, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना--7 को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/--
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-- 4/पी03--10--03/2013 511 पटना, दिनांक 28 मई 2013

प्रतिलिपि:-- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार पुलिस हस्तक में राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधित अंश को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव